

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(14)एमई/ग्रुप-1/2019

जयपुर, दिनांक : 1 JUN 2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.05.2020 के द्वारा जेरियाट्रिक्स मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम- 31 के अनुसार जेरियाट्रिक्स मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा प्रसारित की जाती है : -

सहायक आचार्य

| क्र.सं. | नाम चिकित्सक शिक्षक | वर्ग | जन्म तिथि | नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि |
|---------|-----------------------|---------|------------|---|
| 1. | डॉ० लक्ष्मीकान्त गोयल | सामान्य | 02.04.1982 | 04.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि) |
| 2. | डॉ० मंयक श्रीवास्तव | सामान्य | 15.10.1977 | 30.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि) |
| 3. | डॉ० आत्माराम छिम्पा | अपिव | 02.07.1978 | 17.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि) |
| 4. | डॉ० अनुराग लोहमरोड | अपिव | 22.10.1981 | 01.09.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि) |
| 5. | डॉ० सुभाष चन्द्र गौड | अजा. | 15.03.1981 | 18.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि) |

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
3. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव